उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।
(आपूर्ति शाखा)

—: प्रेस विज्ञप्ति :—

हजारीबाग जिलान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन किया जाना है। उन स्थानों में जहाँ रिक्ति है, माह जुलाई—2017 में जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन करने हेतु निम्न अर्हत्ता होनी चाहिए:—

(i) जन वितरण प्रणाली की नई दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थाओं/वर्गों को किया जायेगा, जो कि संबंधित पोषक क्षेत्र की हो :—
- (क) महिला स्वयं सहायता समूह
- (ख) महिला सहायोग समितियाँ
- (ग) पैक्स/लैम्पस
- (घ) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ
- (ड़) वैसा समूह जिसके सभी सदस्य (10 या इससे अधिक) विकलांगता की परिभाषा में आते हैं। सभी की विकलांगता 40% से उपर की होनी चाहिए।

(ii) जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन निर्मलिखित संस्थाओं/वर्गों को नहीं किया जायेगा:—
- (क) वैसे महिला स्वयं सहायता समूह महिला सहयोग समितियाँ, पैक्स/लैम्पस, भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ जो दिवालिया घोषित हो चुकी है।
- (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये गये हों।

(iii) रिक्ति होने पर अनुज्ञप्तियाँ कंडिका 9 (i) पर वर्णित संस्थानों/वर्गों को ही दी जा सकेगी।

(iv) जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी।
- (क) समूह का निबंधन प्रमाण—पत्र
- (ख) समूह के अध्यक्ष, सचिव एंव कोषाध्यक्ष का आवासीय प्रमाण—पत्र।
- (ग) समूह का अध्यक्ष, सचिव एंव कोषाध्यक्ष का चरित्र प्रमाण—पत्र।
- (घ) बैंक खाता।
- (ड़) निर्धारित शुल्क,
- (च) महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति में वक्रीय निधि प्राप्त होने का प्रमाण—पत्र।
- (छ) विकलांग व्यक्तियों का समूह होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण—पत्र।
- (ज) भूतपूर्व सैनिकों की समितियाँ होने की स्थिति में पेंशन प्रमाण—पत्र।
- (झ) व्यापार स्थल के स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज या व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम—से—कम तीन वर्ष के लिए किरायानामा।
- (ञ) लाभुक क्षेत्र के दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डारण क्षमता का शपथ—पत्र/घोषणा पत्र।

(v) जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन 1000 (एक हजार) जनसंख्या पर एक अनुज्ञप्ति प्रदान किया जायेगा। रिक्ति के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदक का चयन रिक्ति के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली दुकानों को अनुज्ञप्ति निर्गत करना अनुज्ञापन पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदन प्रपत्र को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति कार्यालय, हजारीबाग में 27.07.17 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन का प्रारूप जिला आपूर्ति कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा प्रपत्र—I www.hazaribag.nic.in से डॉनलोड कर सकते है।

17.7.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
हजारीबाग।

ज्ञापांकः— 843 /आ0 हजारीबाग, दिनांक— 17/7 /2017

प्रतिलिपिः— जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग, को सॉफ्ट (सी0डी0) एवं हार्ड कॉपी उपल कराते हुए अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।

17.7.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
हजारीबाग।

प्रपत्र–I

{उपखण्ड–10(iv) के अधीन}

"झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए आवेदन पत्र"

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी,

....

....।

महोदय,

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है :–

1. आवेदक की विशिष्टियाँ
   - (क) नाम : ....
   - (ख) शैक्षणिक योग्यता : ....
   - (ग) पिता / पति का नाम : ....
   - (घ) आयु : ....
2. आवेदक के निवास स्थान का पता (स्थायी तथा वर्तमान)
   - (क) मकान संख्या / होल्डिंग नं० : ....
   - (ख) मोहल्ला / वार्ड नं० : ....
   - (ग) ग्राम / कस्बा / प्रखण्ड : ....
   - (घ) थाना : ....
   - (ङ) जिला : ....
3. व्यापार स्थल का विवरण
   - (क) ग्राम / वार्ड नं० (मुहल्ला सहित), जहाँ के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है – : ....
   - (ख) मकान / दुकान संख्या : ....
   - (ग) होल्डिंग नं० : ....
   - (घ) क्षेत्रफल : ....
   - (ङ) खाता नं० : ....
   - (च) खेसरा नं० : ....
   - (छ) चौहदी : ....
     ....
     ....
     ....
   - (ज) मुहल्ला / वार्ड नं० : ....
   - (झ) ग्राम / शहर : ....
   - (ञ) थाना : ....

(ट) जिला : ....

4. दुकान का स्थान अपना है या किराया का? अगर किराया का है तो किरायानामा का प्रति संलग्न करें। : ....

5. क्या आवदेक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, विवरण दें : ....

6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी तो नहीं ठहराया गया है? : ....

7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोषी ठहराया गया है? : ....

8. क्या आवेदक के उपर कोई आपराधिक मामला तो लंबित नहीं है? : ....

9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित तो नहीं हैं? : ....

10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें। : ....

11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है? : ....

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त मद संख्या 1 से 11 में वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा।

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक का हस्ताक्षर